रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 1978/चैत्र 7, 1900

No. 100] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 1978/CHAITRA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 1978

सा० का० नि० 197 (अ)/आ०व०/गन्ना.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम गन्ना (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश 1978 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में,—

(i) खण्ड 4 में, परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति, खाण्डसारी चीनी के उत्पादक या उसके अभिकर्ता को गन्ने का विक्रय या विक्रय करने का करार नहीं करेगा और ऐसा कोई उत्पादक या उसका अभिकर्ता, खण्ड 4 के अधीन नियत कीमत से कम कीमत पर गन्ना न तो खरीदेगा और न खरीदने का करार करेगा। परन्तु यह भी कि केन्द्रीय सरकार या, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करें, इस प्रकार नियत कीमत में उचित रिबेट अनुज्ञात कर सकेगी।"

(ii) खण्ड 4 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4क—वह रिबेट, जिसकी कटौती खाण्डसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा, गन्ने के लिए संदत्त कीमत से की जा सकती है।"

खाण्डसारी चीनी का उत्पादक या उसका अभिकर्ता, उसके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए, गन्ना उपजकर्ता या गन्ना उपजकर्ता सहकारी सोसाइटी को, यथास्थिति, या तो खण्ड 4 के अधीन नियत गन्ने की निम्नतम कीमत या उत्पादक अथवा उसके अभिकर्ता तथा गन्ना उपजकर्ता या गन्ना उपजकर्ता सहकारी सोसाइटी के मध्य सहमत कीमत (जिसे इसमें इसके पश्चात् सहमत कीमत कहा गया है) का संदाय करेगा, परन्तु—

(i) किसी क्रय केन्द्र में परिदत्त गन्ने के मामले में,—

(क) यदि खाण्डसारी चीनी के उत्पादक द्वारा गन्ने का परिवहन खाण्डसारी एकक में रेल द्वारा किया जाता है तो, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत से बत्तीस पैसे प्रति क्विंटल का रिबेट दिया जाएगा; या

(ख) यदि खाण्डसारी चीनी के उत्पादक द्वारा गन्ने का परिवहन खाण्डसारी एकक में स्वयं अपने वाहन में सड़क द्वारा किया जाता है तो, यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत से, अधिकतम बत्तीस पैसे प्रति क्विंटल के अधीन रहते हुए, 2.5 पैसे (ढाई पैसे) प्रति क्विंटल प्रति किलो मीटर से अनधिक का रिबेट इस शर्त के अधीन रहते हुए दिया जाएगा कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कृषि निदेशक या गन्ना आयुक्त

या जिला मजिस्ट्रेट से, उनके अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर, सम्बद्ध क्रय केन्द्र से खाण्डसारी एकक तक की वास्तविक दूरी और उस दशा में लागू प्रति किलोमीटर दर, जिसके आधार पर रिबेट प्रभारित किया गया है, के सम्बध में एक प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया गया हो।]

स्पष्टीकरण :—खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ आधे किलोमीटर से कम दूरी को छोड़ दिया जाएगा जबकि आधे या आधे से अधिक किलोमीटर की दूरी को एक किलोमीटर के रूप में गिना जाएगा ;

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या कृषि निदेशक या गन्ना आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, खाण्डसारी एककों को जले हुए गन्ने के लिए, यथास्थिति न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में उपयुक्त रिबेट अनुज्ञात कर सकेगा किन्तु इस शर्त पर कि इस प्रकार अनुज्ञात रिबेट जले हुए गन्ने से खाण्डसारी चीनी की प्राप्ति में प्राक्कलित कमी के कारण कीमत में हुई कमी से अधिक न हो ;

(iii) जहां गन्ना गट्ठों में लाया जाता है और वैसे ही तोला जाता है वहां केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, या कृषि निदेशक या गन्ना आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर बांधने वाली सामग्री के भार के सम्बन्ध में, 0.625 किलोग्राम प्रति क्विंटल गन्ने से अनधिक तक का उचित रिबेट अनुज्ञात कर सकेगा; और

(iv) केन्द्रीय सरकार, या केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले किन्हीं अन्य कारणों से यथास्थिति, न्यूनतम कीमत या सहमत कीमत में उचित रिबेट अनुज्ञात कर सकेगा।"

[सं० 3/4/77-चीनी नीति (डेस्क-ii)]

सी०एन०राघवन,
संयुक्त सचिव।

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 1978

G.S.R. 197(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely :—

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Second Amendment Order, 1978.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966,—

(i) in clause 4, after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely :—

"Provided further that no person shall sell or agree to sell sugarcane to a producer of khandsari sugar or his agent, and no such producer or his agent shall purchase or agree to purchase sugarcane, at a price lower than that fixed under clause 4.

Provided also that the Central Government or, with the approval of the Central Government, the State Government, may in such circumstances and subject to such conditions as it may specify, allow a suitable rebate in the price so fixed".

(ii) after clause 4, the following clause shall be inserted, namely :—

"4A. Rebate that can be deducted from the price paid for sugarcane by producers of khandsari sugar :—

A producer of khandsari sugar or his agent shall pay, for the sugarcane purchased by him, to the sugarcane grower or the sugarcane growers' cooperative society, either the minimum price of sugarcane fixed under clause 4, or the price agreed to between the producer or his agent and the sugarcane grower or the sugarcane growers' cooperative society, as the case may be (hereinafter referred to as the agreed price) :

Provided that—

(i) in the case of sugarcane delivered at any purchase centre,—

(a) if the sugarcane is transported to the khandsari unit by the producer of khandsari sugar by rail, a rebate of thirty-two paise per quintal shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be ; or

(b) if the sugarcane is transported to the khandsari unit by road by the producer of khandsari sugar in his own transport, a rebate, not exceeding 2.5 paise (two and half paise) per quintal, per kilometer, subject to a maximum of thirty-two paise per quintal, shall be made from the minimum price or the agreed price, as the case may be, subject to the condition that a certificate regarding the actual distance from the purchasing centre concerned to the khandsari unit and the rate per kilometer applicable in that case, on the basis of which the rebate is charged, is obtained from the Central Government or the State Government or the Director of Agriculture or the Cane Commissioner or the District Magistrate within their respective jurisdiction.

Explanation : For the purpose of clause (b) the distance of less than half a kilometer shall be ignored while a distance of half or more than half a kilometer, shall be counted as one kilometer ;

(ii) the Central Government or the State Government or the Director of Agriculture or the Cane Commissioner or the District Magistrate may allow a suitable rebate in the minimum price or the agreed price, as the case may be, for burnt cane supplied to khandsari units within their respective jurisdiction, subject to the condition that the rebate so allowed does not exceed the reduction in price on account of the estimated shortfall in the recovery of khandsari sugar from burnt cane ;

(iii) where the sugarcane is brought bound in bundles and weighed as such, the Central Government or, with the approval of the Central Government, the State Government or the Director of Agriculture or the Cane Commissioner or the District Magistrate within their respective jurisdiction, may allow a suitable rebate in regard to the weight of the binding material not exceeding 0.625 kilograms per quintal of sugarcane ; and

(iv) the Central Government or, with the approval of the Central Government, the State Government, may allow a suitable rebate in the minimum price or the agreed price, as the case may be, for any other reasons to be specified by the Central Government or the State Government, as the case may be."

[No. 3/4/77-SPY (DESK II)]
C. N. RAGHAVAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978